

## सकारात्मक कार्रवाई का पुनः अंशांकन

यह एडिटोरियल दिनांक 06/09/2021 को 'द हट्टि' में प्रकाशित "The key to revitalising India's reservation system" लेख पर आधारित है। इसमें सकारात्मक कार्रवाई की नीति से जुड़ी समस्याओं और अन्य संबद्ध मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

हाल ही में **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)** में **अन्य पछिड़ा वर्ग (OBCs)** हेतु आरक्षण शुरू करने के लिये सरकार की सराहना की गई और इस नरिणय से एक बार फरि जात संबंधी जनगणना तथा सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) पर बहस शुरू हो गई है।

सकारात्मक कार्रवाई, जिसकी परकिल्पना गणतंत्र की स्थापना के समय की गई थी, वास्तव में हमारे संवधान नरिमाताओं द्वारा प्रस्तुत उल्लेखनीय प्रावधानों में से एक है। यह भारत जैसे एक भारी असमान और दमनकारी सामाजिक व्यवस्था वाले देश में न्याय के सिद्धांत को प्रतपादित करने हेतु ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आरक्षण के प्रावधान भारतीय लोकतंत्र की सफलता की कहानियों में से प्रमुख करिदार रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही इन्होंने कई समस्याओं को भी जन्म दिया है और इस संबंध में तत्काल नीतगत ध्यान एवं बहस की आवश्यकता है।

### आरक्षण की आवश्यकता

- देश में पछिड़ी जातियों द्वारा झेले जा रहे ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिये।
- पछिड़े वर्गों के लिये उपयुक्त अवसर प्रदान करने हेतु क्योंकि वे उन लोगों के साथ प्रतसिपर्द्धा नहीं कर सकते हैं जिनके पास सदियों से संसाधनों और साधनों की पहुँच उपलब्ध है।
- राज्य के अधीन सेवाओं में पछिड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतनिधित्व सुनिश्चित करने के लिये।
- पछिड़े वर्गों की उन्नति के लिये।
- योग्यता के आधार के रूप में समानता सुनिश्चित करने के लिये अर्थात् सभी लोगों को पहले एकसमान स्तर पर लाना और फरि योग्यता के आधार पर उनका मूल्यांकन करना।

### वर्तमान नीतिके साथ समस्याएँ

- समता नहीं:** राज्य के राजनीतिक और सार्वजनिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण के माध्यम से यह सोचा गया था कि अब तक हाशिये पर रहे समूह जो पीढ़ियों से उत्पीड़न और अपमान का सामना कर रहे हैं, अंततः सत्ता साझेदारी और नरिणय-नरिमाण प्रक्रियाओं में अपनी हसिसेदारी पाने में सक्षम होंगे।
  - हालाँकि, अक्षमताओं को दूर करने की यह रणनीति हमारे वषिम समाज में कई समूहों के लिये जीवन अवसरों की समानता के नरिमाण में अनविरय रूप से सफल नहीं हुई है।
- वस्तुकरण की समस्या:** वर्तमान परिदृश्य की वास्तविकता यह है कि यह व्यवस्था वस्तुकरण की समस्या से ग्रस्त है।
  - अन्य पछिड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण पर **न्यायमूर्त जी. रोहिणी आयोग की रिपोर्ट** द्वारा जारी आँकड़े इसे समझने के लिये एक अच्छा संकषपित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।
  - अन्य पछिड़ा वर्ग के लिये केंद्र सरकार की नौकरियों में नयुक्तियों और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के मामले में पछिले पाँच वर्षों के आँकड़ों के आधार पर आयोग ने नषिकर्ष नकाला है कि केंद्रीय ओबीसी कोटा का 97% लाभ इस वर्ग की केवल 25% जातियों को प्राप्त होता है।
  - 983 ओबीसी समुदायों (जो कुल का 37% हैं) को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश में शून्य प्रतनिधित्व प्राप्त है।
  - इसके साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि ओबीसी समुदायों के केवल 10% ने 24.95% नौकरियों और प्रवेश पर अधिकार जमा लिया है।
- आँकड़ों की कमी:** यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि रोहिणी आयोग के आँकड़े केवल उन संस्थानों पर आधारित हैं जो केंद्र सरकार के दायरे में आते हैं।
  - राज्य और समाज के अधिक स्थानीय स्तरों पर वभिन्न सामाजिक समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों पर किसी भी स्पष्ट या

वशिवसनीय आँकड़े का अभाव है।

- **जातिअभी भी आय स्तर से संबद्ध है:** मुक्तिके चरण में भी जातियाँ आय के अधिक पारंपरिक स्रोतों से ही जुड़ी हुई हैं और अर्थव्यवस्था के खुलने से उत्पन्न हुए अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ हैं।
  - ज़मीनी स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के अभाव में हाशिये पर स्थिति लोगों का बहुमत अभी भी इतिहास के प्रतीकपालय में भटकने को वविश है और राज्य की नीतिगिरडि की रोशनी पाने की प्रतीकषा कर रहा है।
- समान अवसर आयोग (Equal Opportunities Commission, 2008) की वशिषज्ज समतिने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को सौपी गई अपनी व्यापक रिपोर्ट में कई सफिररशिन की थीं।
  - हालाँकि, इस संबंध में बहुत कम नीतगित प्रगतहुई है। उत्तरोत्तर सरकारें इस तरह के व्यापक परविरतनकारी नीतविकिल्पो से संबद्ध होने के प्रतअनचिछुक रही हैं और लगभग हमेशा ही तात्कालिक और अदूरदर्शी राजनीतिक लाभ के दृष्टिकोण से आगे बढ़ी हैं।
- **हाशिये पर स्थिति वर्गों की माँगें:** आरक्षण के लाभ से वंचित रहे हाशिये पर स्थिति वर्गों की ओर से अब प्रबल माँग उठ रही है किऐसे नीतविकिल्पो पर वचिर कयिा जाए जो आरक्षण की मौजूदा प्रणाली को प्रकता प्रदान कर सके।
- **आरक्षण का वषिम वतिरण:** आरक्षण के वषिम वतिरण ने नमिन जातिसमूहों के बीच एकजुटता को भी बाधति कयिा है।

## आगे की राह

- **सकारात्मक कार्रवाई का पुनः अंशांकन:** यह आवश्यक है कि सकारात्मक कार्रवाई के लाभ किसी भी जाति के नरिधनतम हसिसे तक पहुँचे।
  - एक तंत्र की आवश्यकता है जो सकारात्मक कार्रवाई के वर्तमान कार्यान्वयन में इस कमी को दूर कर सके और प्रणाली को अंतरा-समूह माँगों के प्रतअधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सके।
- **साक्ष्य-आधारित नीति की आवश्यकता:** संदर्भ-संवेदनशील और साक्ष्य-आधारित नीतविकिल्पो की एक वसितुत शृंखला वकिसति करने की तत्काल आवश्यकता है, जसि वशिषिट समूहों की वशिषिट आवश्यकताओं की प्रतके लयि तैयार कयिा जा सकता हो।
- **संस्थागत व्यवस्था:** संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम के 'समान अवसर आयोग' जैसी संस्था के गठन की आवश्यकता है जो दो महत्त्वपूर्ण लेकनि परस्पर संबंधित कार्य कर सकती है:
  - जाति, लयि, धरम और अन्य समूह असमानताओं सहति वभिनिन समुदायों की सामाजिक-आर्थिक-आधारित जनगणना से संबंधित आँकड़े से एक वंचित सूचकांक (deprivation index) का नरिमाण करना और अनुरूप नीतयिों के नरिमाण के लयि उनकी रैकगि करना।
  - गैर-भेदभाव और समान अवसर पर नयिकताओं और शैक्षणिक संस्थानों के प्रदर्शन पर एक ऑडिट कार्य करना और वभिनिन क्षेत्रों में अचछे अभ्यास के कोड जारी करना।
    - इससे संस्थागत स्तर पर नीतनरिमाण और उसकी नगिरानी करना आसान हो जाएगा।
- **व्यापक जाति-आधारित जनगणना की आवश्यकता:** भारत में सकारात्मक कार्रवाई व्यवस्था में किसी भी सार्थक सुधार के आरंभ के लयि एक सामाजिक-आर्थिक जाति-आधारित जनगणना आयोजति कराना एक आवश्यक पूर्व-शरत बन जाता है।
  - इस प्रकार, जातिजनगणना को सामान्य जनगणना के साथ शामिल करना वर्तमान समय की माँग है।
- **मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति:** पछिडों के लयि न्याय, अगडों के लयि समानता और पूरी व्यवस्था के लयि दकषता के बीच संतुलन की तलाश के लयि एक मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का होना अनविर्य है।

## नषिकरष

इस प्रकार, आरक्षण के मुद्दे को एक नए ढाँचे में रखना आवश्यक है जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का उचित ध्यान रखता हो। यह ढाँचा ऐसा हो जो गुणवत्ता और समानता को बेहतर तरीके से संतुलित करने में मदद करे।

**अभ्यास:** आरक्षण के मुद्दे को एक नए ढाँचे में रखना आवश्यक है जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों का उचित ध्यान रखता हो। चर्चा कीजिये।